भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

05.02.2020 के

अतारांकित प्रश्न सं. 681 का उत्तर

रेल परियोजनाएं

681. श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी:
श्री संजय सेठः

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान गिरिडीह सहित झारखंड में रेल ओवर ब्रिज (आरओबी) सहित कार्यान्वित/निर्मित और लंबित रेल परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त परियोजनाओं के लिए आवंटित और उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) झारखंड में गत पांच वर्षों के दौरान कितनी नई रेल लाइनें बिछाई गईं या इससे संबंधित प्रगतिशील कार्य किए गए;

(घ) क्या सरकार ने उक्त परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कोई कदम उठाया है या इसकी समीक्षा की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ड़): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

रेल परियोजनाओं के संबंध में 05.02.2020 को लोक सभा में श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी और श्री संजय सेठ के अतारांकित प्रश्न सं. 681 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) से (ड.): रेल परियोजनाओं को क्षेत्रीय रेलवे-वार स्वीकृत किया जाता है, न की राज्य-वार। बहरहाल, इस समय, रेलवे ने 2607 किमी लंबाई के लिए 40,020 करोड़ रु. की लागत पर पूर्व मध्य रेलवे, पूर्व रेलवे और दक्षिण पूर्व रेलवे के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत झारखंड राज्य में पूर्ण रूप से और आंशिक रूप से पड़ने वाली 30 रेल परियोजनाओं (14 नई लाइन, 16 दोहरीकरण) का कार्य शुरू किया है, जिसमें 25,535 करोड़ की कुल लागत के साथ 1463 किमी की लंबाई वाली 14 नई लाइन और 14,485 करोड़ की कुल लागत के साथ 1145 किमी वाली 16 दोहरीकरण परियोजनाएं शामिल हैं। ये सभी परियोजनाएं योजना/स्वीकृति/निष्पादन के विभिन्न चरणों के अंतर्गत हैं।

उपरोक्त परियोजनाओं में से, 10 परियोजनाएं (6470 करोड़ रु. की कुल लागत के साथ 299 किमी की लंबाई वाली 5 नई लाइन परियोजनाएं और 3339 करोड़ रु. की कुल लागत के साथ 202 किमी की लंबाई वाली 5 दोहरीकरण परियोजनाएं) को विगत तीन वर्षों (2016-2019) और चालू वित्त वर्ष में शामिल किया गया है।

2014-19 के दौरान झारखंड राज्य में पूर्ण रूप से/आंशिक रूप से पड़ने वाली अवसंरचनात्मक परियोजनाओं एवं संरक्षा संबंधी कार्यों के लिए वार्षिक बजट परिव्यय 2,089 करोड़ रु. है जो 2009-14 (457 करोड़ रु.) के औसत वार्षिक परिव्यय का 457 प्रतिशत है।

2019-20 के दौरान झारखंड राज्य में पूर्ण रूप से/आंशिक रूप से पड़ने वाली अवसंरचनात्मक परियोजनाओं एवं संरक्षा संबंधी कार्यों के लिए बजट परिव्यय 2,493 करोड़ रु. है जो 2009-14 (457 करोड़ रु.) के औसत वार्षिक परिव्यय का 546 प्रतिशत है।

2014-19 के दौरान 690 किमी (402 किमी नई लाइन और 288 किमी दोहरीकरण परियोजनाएं) का कार्य 138 किमी/वर्ष की औसत दर से राज्य में पूरा किया गया जो 2009-14 के दौरान पूरे किए गए कार्यों का 240 प्रतिशत है।

हाल ही में, झारखंड के गिरीडीह में, एक नई लाइन परियेाजना अर्थात् कोडरमा-गिरीडीह का कार्य पूरा कर लिया गया है और इसे यातायात के लिए खोल दिया गया है और 903 करोड़ रु. की लागत पर एक नई लाइन परियोजना अर्थात् पारसनाथ-मधुबन-गिरीडीह (49 किमी) का कार्य भी शुरू कर दिया गया है।

विगत तीन वर्षों के दौरान झारखंड सरकार के साथ लागत भागीदारी पर कुल 17 अदद ऊपरी सड़क पुल (आरओबी) स्वीकृत किए गए हैं। 2019-20 के दौरान, झारखंड में 41 अदद ऊपरी सड़क पुल स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से, 03 अदद आरओबी का कार्य पूरा कर लिया गया है। रेलवे के हिस्से के 3 अदद आरओबी का कार्य पूरा कर लिया गया है और 35 अदद आरओबी का कार्य शुरू कर दिया गया है।

निधियों का आबंटन/उपयोग सहित परियोजनाओं का ब्यौरा भारतीय रेल की वेबसाइट अर्थात् www.indianrailways.gov.in> Ministry of Railways> Railway Board > about Indian Railway > Railway Board Directorate > Finance (Budget) पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया जाता है।

किसी भी परियोजना का पूरा होना राज्य सरकार द्वारा शीघ्र भूमि अधिग्रहण, वन विभाग के प्राधिकारियों द्वारा वन संबंधी मंजूरी, बाधक जनोपयोगी सेवाओं (भूमिगत और भूमि के ऊपर दोनों) का स्थानांतरण, विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक स्वीकृतियां, क्षेत्र की भौगोलिक और स्थलाकृतिक परिस्थितियों, परियोजना स्थल के क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति, जलवायु परस्थितियों के कारण परियोजना विशेष के स्थल के लिए किसी वर्ष में कार्य के महीनों की संख्या, परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए राज्य सरकार का सहयोग और तत्परता, भूकंप, बाढ़, अत्यधिक वर्षा, श्रमिकों की हड़ताल जैसी अप्रत्याशित परिस्थितियों का सामना करना, माननीय न्यायालयों के आदेशों, कार्यरत एजेंसियों/ठेकेदारों की स्थिति और शर्तों आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है और ये सभी कारक परियोजना दर परियोजना तथा साइट दर साइट भिन्न हो सकते हैं और यह परियोजना के समापन समय तथा लागत को प्रभावित करते हैं।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि लागत में वृद्धि के बिना परियोजना को समय पर पूरा किया जाए, रेलवे में विभिन्न स्तरों (फील्ड स्तर, मंडल स्तर, क्षेत्रीय स्तर और बोर्ड स्तर) पर काफी निगरानी की जाती है और परियोजनाओं की प्रगति में बाधा डालने वाले लंबित मुद्दों को हल करने के लिए राज्य सरकार और संबंधित प्राधिकरणों के अधिकारियों के साथ नियमित बैठकें की जाती हैं। इसके अलावा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि परियोजनाओं को समय से पहले ही पूरा किया जाए रेलवे ने अनुबंधों में बोनस खंड के रूप में ठेकेदार को प्रोत्साहन देने के सिद्धांत को अपनाया है जिससे परियोजनाओं के निष्पादन की गति में और अधिक वृद्धि होगी।

महत्वपूर्ण परियोजनाओं, क्षमता संवर्धन परियोजनाओं, अंतिम स्थान संपर्कता आदि के लिए संस्थागत वित्तपोषण किया गया है, जिससे क्षमता संवर्धन परियोजनाओं के लिए प्रतिबद्ध निधि के प्रावधान के लिए रेलवे की क्षमता में वृद्धि हुई है।

*****